प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना को0 टाण्डा

दिनांक-07.03.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा/स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 63/26 धारा 103(1),309(6),317(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0-65/26 धारा-103(1),238(बी) बीएनएस से सम्बन्धित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर,श्री अभिजित आर.शंकर के निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) अम्बेडकरनगर,श्री हरेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी टाण्डा अम्बेडकरनगर,श्री शुभम कुमार पर्येवेक्षण में गठित पुलिस टीम द्वारा विगत दिनों में कोतवाली क्षेत्र टाण्डा में हुई हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 63/26 धारा 103(1),309(6),317(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0-65/26 धारा-103(1),238(बी) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आए अभियुक्त प्रेमचंद्र उर्फ चंदू पुत्र छोटेलाल निवासी छांगुरपुर मिश्रौलिया, थाना कोतवाली टान्डा जनपद अम्बेडकरनगर को दिनांक 07.03.2026 को समय करीब 03.40 बजे जय हिन्द विश्वकर्मा के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प हसनपुर सुंथर थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामातलाशी में 2 अदद चैन सोने की व कुल 64,000 रूपये, 1 अदद मोबाइल फोन रेडमी स्मार्ट फोन रंग चमकीला हरा, 1 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ तथा अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 1 अदद चापड़, 1 अदद फावड़ा व मोबाइल बरामद किया गया। अभियुक्त के प्राथमिक उपचार के बाद नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह आर्थिक तंगी व कर्ज से परेशान था। लगभग पाँच माह पूर्व उसकी पत्नी के ऑपरेशन से बच्चा हुआ, जिसमें काफी पैसा खर्च हो गया। उसने राजू सिंह निवासी हजलापुर से 50,000 रुपये उधार लिये थे तथा अपनी मोटरसाइकिल 60,000 रुपये में सूरज पुत्र छविलाल निवासी बरवाँ नासिरपुर, अकबरपुर के पास गिरवी रखी थी। जुआ खेलने की आदत के कारण भी उस पर कर्ज बढ़ गया था।

अभियुक्त ठेकेदार सुरेन्द्र माँझी निवासी छज्जापुर टांडा, जनपद अम्बेडकरनगर के लिए पेड़ों की जानकारी देने का काम करता था। उसने देखा कि सुरेन्द्र माँझी हमेशा अपने पास काफी नकद रुपये तथा सोने की भारी चेन व अंगूठियाँ रखते हैं। इसी लालच में उसने अपने साथी अरविन्द कुमार प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति निवासी पूरे चौबे थाना हँसवर, अम्बेडकरनगर के साथ मिलकर उन्हें मारकर रुपये व सोना लूटने की योजना बनाई।

योजना के अनुसार अभियुक्त ने अरविन्द के साथ मिलकर सुरेन्द्र माँझी को ग्राम जनार्दनपुर के बाग में पेड़ दिखाने के बहाने कई बार बुलाया। दिनांक 03.03.2026 को जब सुरेन्द्र माँझी अकेले वहाँ पहुँचे तो अभियुक्त ने तमंचे से मारने का प्रयास किया, परन्तु हाथापाई में तमंचा गिर गया। तब अरविन्द ने बाँका से वार किया और अभियुक्त ने फावड़े से सिर पर प्रहार किया, जिससे सुरेन्द्र माँझी की मृत्यु हो गई। इसके बाद दोनों ने उनके गले की दो सोने की चेन, जेब में रखे नकद रुपये तथा मोबाइल फोन लेकर मौके से भाग गये। घटना में प्रयुक्त फावड़ा व बाँका शारदा नहर के किनारे सरपत में छिपा दिये तथा मृतक का मोबाइल चक संसारी के एक ट्यूबवेल पर जलाकर नष्ट कर दिया।

बाद में लूटे गये रुपये व सोने के बंटवारे को लेकर अरविन्द अधिक हिस्सा मांगने लगा और पुलिस को बताने की धमकी देने लगा। तब अभियुक्त उसे शराब के ठेके पर ले गया और अत्यधिक शराब पीलाने के बाद जहर देकर मार दिया । हालत खराब होने पर उसे अकूतपुर नहर के पास गेहूँ के खेत में गड्ढे में धकेलकर छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया।

<u>विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01.प्रेमचन्द्र उर्फ चन्दू पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम छांगुरपुर मिश्रौलिया थाना कोतवाली टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 35 वर्ष ।

<u>विवरण आपराधिक इतिहास-</u> प्रेमचन्द्र उर्फ चन्दू उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 347/2020 धारा 147, 323, 504, 506 BNS थाना को0 टाण्डा अ0नगर ।
2. मु0अ0सं0 303/2020 धारा- 323,354,452,504,506 बीएनएस थाना को0 टाण्डा अ0नगर।
3. मु0अ0सं0 131/2021 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 टाण्डा अ0नगर ।
4. मु0अ0सं0 63/2026 धारा 103(1),309(6),317(2) बीएनएस थाना को0 टाण्डा अ0नगर ।
5. मु0अ0सं0 65/2026 धारा 103(1), 238(बी) बीएनएस थाना को0 टाण्डा अ0नगर ।
6. मु0अ0स0 66/2026 धारा-109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 टाण्डा अ0नगर ।

<u>विवरण बरामदगी –</u>

हत्या की घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा, एक अदद चापड़ एवं लूट की दो अदद सोने की चैन वजन (41.18 ग्राम , 13.88 ग्राम) , 500 रूपये की 128 नोट (कुल 64,000 रूपये) , एक अदद लूट की मोबाइल जली हुई अवस्था मे, तथा सहअभियुक्त मृतक अरविन्द कुमार उपरोक्त का एक अदद मोबाइल ।

<u>विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-</u>

01.प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी मय हमराह उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी ,का0 हरसोविन्द,का0 सर्रफराज थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर ।

02.व0उ0नि0 शिवबक्श सिंह मय हमराह उ0नि0 मुनि मन रंजन दूबे ,उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र मौर्या ,उ0नि0 श्री आलोक शुक्ला, मुख्य आरक्षी अनवर अली थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर ।

03.स्वाट टीम प्रभारी नि0 श्री संजय पाण्डेय मय टीम जनपद अम्बेडकरनगर ।

04.SOG प्रभारी उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव मय टीम जनपद अम्बेडकरनगर ।

05.सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 श्री प्रभाकान्त तिवारी मय टीम हे0का0 अमरेश ,हे0का0 पुनित गुप्ता,हे0का0 महेश सिंह जनपद अम्बेडकरनगर ।